14019/03/2018-हिदी

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(हिंदी अनुभाग)

**विषय : हिंदी का उपयोग विषय पर डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3196 के संबंध में।**

**प्रश्‍न में पूछा गया है कि :**

मंत्रालय में वर्ष 2014 के पश्चात राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन हेतु राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन कब किया गया था और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी ‘वार्षिक कार्यक्रम’ के अनुसार अभी तक हुई बैठकों में मंत्रालय और विभागों में इसके प्रगामी प्रयोग की बैठक-वार वर्तमान स्थिति क्या है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

इस संबंध में हिंदी अनुभाग द्वारा उपलब्‍ध रिकार्ड के आधार पर सूचना संकलित की गई है जिसके अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति का गठन 19 मार्च, 2009 में हुआ था, तदनंतर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति का पुनर्गठन करने अथवा उसमें कोई संशोधन करने की आवश्‍यकता महसूस नहीं की गई । तथापि, समिति अपने कार्य में सक्रिय है, जिसके कारण 2014 के बाद मंत्रालय के हिंदी कामकाज में अपेक्षित सुधार हुआ है यथा- मंत्रालय और इसके कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है; धारा 3(3) के अंतर्गत निर्दिष्‍ट सभी दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं; हिंदी में प्राप्‍त पत्रों का उत्‍तर निरपवाद रूप से हिंदी में ही दिए जा रहे हैं; बैठकों की कार्रवाई हिंदी में आयोजित हो रही हैं तथा सभी पुस्‍तिकाएं व प्रकाशन द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं; समिति की बैठकें सामान्‍यतया समय पर आयोजित की जाती हैं और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथा निहित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने की दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

यदि अनुमोदन हो तो, उपरोक्‍त तथ्‍यों के आधार पर संसदीय प्रश्‍न का उत्‍तर दे दिया जाए। तदनुसार प्रारूप (पर्ची ‘क’) अनुमोदनार्थ प्रस्‍तुत है।

(पूर्णिमा राव)

सहायक निदेशक, रा.भा.

**संयुक्‍त निदेशक, राजभाषा**

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3196**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**हिन्दी का उपयोग**

**3196. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

मंत्रालय में वर्ष 2014 के पश्चात राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन हेतु राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन कब किया गया था और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी ‘वार्षिक कार्यक्रम’ के अनुसार अभी तक हुई बैठकों में मंत्रालय और विभागों में इसके प्रगामी प्रयोग की बैठक-वार वर्तमान स्थिति क्या है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति का गठन 19 मार्च, 2009 में हुआ था। समिति अपने कार्य में सक्रिय है, जिसके कारण मंत्रालय के हिंदी कामकाज में अपेक्षित सुधार हुआ है। मंत्रालय और इसके कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है; धारा 3(3) के अंतर्गत निर्दिष्‍ट सभी दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं; हिंदी में प्राप्‍त पत्रों का उत्‍तर निरपवाद रूप से हिंदी में ही दिए जा रहे हैं; बैठकों की कार्रवाई हिंदी में आयोजित हो रही हैं तथा सभी पुस्‍तिकाएं व प्रकाशन द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं।

समिति की बैठकें सामान्‍यतया समय पर आयोजित की जाती हैं और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथा निहित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने की दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

**RAJYA SABHA**

**UN-STARRED QUESTION NO. 3196**

TO BE ANSWERED ON 22.03.2018

**USE OF HINDI**

**3196. DR. SATYANARAYAN JATIYA:**

Will the **Minister of Women and Child Development** be pleased to state

The date on which the official Language Implementation Committee was constituted after the year 2014 in the Ministry for implementation of Official Language Hindi and the status of progressive use of the same in the Ministry and the Departments and in the meetings held so far, Meeting-wise, as per the ‘Annual Programme’ issued by the Department of Official Language of the Ministry of Home Affairs and the effective measures being taken to achieve targets?

**ANSWERS**

**MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

**(DR. VIRENDRA KUMAR)**

The Official Language Implementation Committee was constituted in the Ministry of Women and Child Development on 19th March, 2009. The Committee is quite active in its functioning, resulting in improvement in the progressive use of Hindi in the Ministry. Provisions of the Official Language Act, 1963 are being scrupulously adhered to in the Ministry and its attached/subordinate offices; all documents specified in Section 3(3) of the Act are being issued bilingually; replies to communications received in Hindi are invariably sent in Hindi; Hindi is being used in the proceedings of the meetings held by the Ministry and all the publications as well as booklets/pamphlets of the Ministry are being published bilingually.

 Meetings of the Committee are generally organised in time. All out efforts are being made by the Ministry to achieve the targets fixed by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs every year in their Annual Programmes.

\*\*\*\*\*